



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimcoefroiko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./04/06/2018/एफ.सी./323

दिनांक: 03.10.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)  
एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/20788/2016)

विषय: 400 के०वी०डी०सी० ऊँचाहार-फतेहपुर पारेषण लाइन के निर्माण हेतु जनपद-फतेहपुर में प्रभावित 0.29632 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 37 पौधों एवं 01 वृक्ष का पातन व 02 वृक्षों का शाखा तराशी तथा जनपद-रायबरेली में प्रभावित 0.1147 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.41102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 37 पौधों एवं 14 वृक्षों के पातन व 02 वृक्षों का शाखा तराशी की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-553/11-सी-FP/UP/Trans/20788/2016, लखनऊ, दिनांक-16.09.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-2164/11-सी-FP/UP/Trans/20788/2016, दिनांक-16.01.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 400 के०वी०डी०सी० ऊँचाहार-फतेहपुर पारेषण लाइन के निर्माण हेतु जनपद-फतेहपुर में प्रभावित 0.29632 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 37 पौधों एवं 01 वृक्ष का पातन व 02 वृक्षों का शाखा तराशी तथा जनपद-रायबरेली में प्रभावित 0.1147 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 0.41102 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 37 पौधों एवं 14 वृक्षों के पातन व 02 वृक्षों का शाखा तराशी की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् (0.41102 x 2= 0.82204 ha.) 0.82204 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।  
(ख) इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।  
(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
5. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

6. क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में e-portal द्वारा जमा की जाएगी एवं e-receipt उपलब्ध करवाई जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर पक्षियों के बचाव के लिए bird deflector उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे पारेषण लाईन upper conductor पर स्थापित किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दिए गए ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
9. परियोजना से संबंधित समान दुलाई के लिए एवं अन्य प्रयोजन के लिए अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जाएगा।
10. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।
11. पारेषण लाईन के लिए राइट आफ वे (right of way) की चौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा।
13. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
14. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
15. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
18. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
19. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
20. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
21. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जाएगी।

प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तों का पूर्ण एवं संतोषजनक अनुपालन प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव की विधिवत् स्वीकृति जारी की जाएगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

1. अपर वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. विशेष सचिव(वन), बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रायबरेली एवं फतेहपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पावर ग्रिड, ऊँचाहार ट्रान्समिशन लिमिटेड, फतेहपुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली।

(के0 के0 तिवारी)  
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}